नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2019–2020 के लिये जनपद न्यायालय आजमगढ की भूमि पर स्थित निम्नलिखित दुकानों की नीलामी माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा गठित नीलामी समिति की उपस्थिति एवं निर्देशन में दिनांक 20.05.2019 एवं 21.05.2019 एवं प्रातः 09.00 बजे से जनपद न्यायालय आजमगढ के नवीन भवन के ''हॉल ऑफ जस्टिस'' में सम्पन्न किया जायेगा ।

इच्छुक व्यक्ति नियत तिथि ,समय एवं स्थान पर नीलामी में भाग लेने हेतु उपस्थित हों ।

नीलाम होने वाली दुकानों का विवरण :–

क्रम सं0	दुकान / साइकिल स्टैण्ड का नाम	संख्या
01	पान की दुकान	02
02	पराग मिल्क	01
03	फोटोस्टेट	02
04	साइकिल मरम्मत	01
05	चाय मीठा	01
06	स्टेशनरी	01

नीलामी की शर्ते निम्नलिखित है :–

1– यह ठेका नीलामी की तिथि से 31.03.2020 तक के लिये वैध होगा ।

2– जिस ठेकेदार के यहॉ ठेके से सम्बन्धित धनराशि बकाया है उसको या उसके परिवार के सदस्यों को या प्रतिनिधि को नीलामी में भाग लेने का अधिकार नही होगा । यदि किसी प्रकार वह व्यक्ति ठेका प्राप्त भी कर लेता है तोइसकी जानकारी होने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा और उक्त दुकान की पुनः बोली करा दी जायेगी ।

3– नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को बोली बोलने हेतु सरकारी बोली(विगत वित्तीय वर्ष की बोली की धनराशि पर 10 प्रतिशत जोड कर) की 10 प्रतिशत जमानत के रूप में जमा करना होगा। बोली कर्ता को जमानत धनराशि जमा करनें के उपरान्त ही बोली बोलने का अधिकार होगा।

4– जिस दुकान के पक्ष में नीलामी की बोली स्वीकृत की जायेगी उस दुकान की ठेका की 40 प्रतिशत धनराशि तत्काल जमा करना होगा तथा शेष धनराशि को 20–20 प्रतिशत की तीन त्रैयमासिक किश्तों (प्रथम किश्त जून 2019, द्वितीय किश्त सितम्बर 2019 तथा तृतीय किश्त दिसम्बर 2019 तक) में जमा करना होगा । इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा और पुनः नीलामी करा दिया जायेगा ।

5– जिस ठेकेदार के पक्ष में नीलामी की बोली स्वीकृत होगी वह व्यक्ति अपनी दुकान स्वंय चलायेगा। अपने किसी रिश्तेदार,सगे सम्बन्धी या किसी अन्य को हस्तान्तरित नही करेगा । उपुर्यक्त बातों की जानकारी किसी प्रकार होने पर दुकान का ठेका निरस्त करके जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी और पुनः नीलामी करा दी जायेगी ।

6– नीलामी में सबसे ऊॅची बोली बोलने वाले के पक्ष में नीलामी की बोली स्वीकृत होगी किन्तु माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र सं0– 24 दिनांकित 18.12.1950 के अनुसार माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताये सबसे ऊॅची बोली को निरस्त कर दें तथा किसी भी बोली को स्वीकृत कर लें ।

7– जिस व्यक्ति के नाम ठेका होगा उसे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र सं0– 31/एस दिनांकित 16.03.1988 में दी गयी शर्तो के अनुसार दुकानदार को बोली के पश्चात् रू0 100–00 का स्टैम्प लेकर आना होगा और अनुबन्ध पत्र निष्पादित करना होगा ।

8– ठेकेदार को अपने दुकान के आस–पास की सफाई स्वयं करनी होगी । माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र सं0– 139 दिनांकित 18.03.1979 के अनुसार प्रत्येक

सामानों की दर सूची प्रभारी अधिकारी नजारत द्वारा सत्यापित कराकर ऐसे स्थान पर लगायी जायेगी जहाँ से प्रत्येक ग्राहक आसानी से देख सके।

9— माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय स्वयं अथवा किसी व्यक्ति को अधिकृत करके खाद्य पदार्थो की दुकानों का हर प्रकार से निरीक्षण कर सकें ।

10— जितनी भूमि दुकान करने हेतु दी जायेगी उसी में दुकान करना होगा ।

11— उपरोक्त शर्तो में से किसी भी शर्त का उल्लंधन करने पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी व्यक्ति के दुकान का ठेका निरस्त कर दें या पुनः नीलामी करा दें और शासकीय नुकसान की वूसली उसके द्वारा या उसके सम्पत्ति से करा दें ।

दिनांक : मई, 2019

(विवेक संगल)
अध्यक्ष नीलामी समिति/
प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश
आजमगढ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु प्रेषित :—

1— नाजिर, कलेक्ट्रेट आजमगढ को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।
2— कार्यालय अधीक्षक नगर पालिका परिषद आजमगढ को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
3—कार्यालय अधीक्षक पुलिस अधीक्षक आजमगढ को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
4—कार्यालय अधीक्षक मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
5— स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ हेतु ।
6— जिला सूचना अधिकारी आजमगढ को सभी समाचार पत्रों में निःशूल्क प्रकाशन कराने हेतु।
7— जनपद न्यायालय आजमगढ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।
8—जनपद न्यायालय के वेबसईट पर अपलोड किये जानें हेतु नोडल अधिकारी कम्प्यूटर को प्रेषित।

दिनांक :02 मई, 2019

02/5/19

(विवेक संगल)
अध्यक्ष नीलामी समिति/
प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश
आजमगढ।